SWAMI KESHWANAND RAJASTHAN AGRICULTURAL UNIVERSITY
National Highway No. 15, Sriganganagar Road, Beechwal - Bikaner – 334006 (Rajasthan)
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15, श्रीगंगानगर रोड़, बीछवाल - बीकानेर - 334006 (राजस्थान)

दिनांक **24.02.2023** को अपरान्ह **03.30** बजे सभागार कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की **111**वीं बैठक कार्यवृत्त।

निम्न सदस्यो ने ऑनलाईन/ ऑफलाईन बैठक में भाग लिया :-

1.	**डॉ० अरूण कुमार** कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2.	**डॉ० पी०के० दशौरा,** पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
3.	**डॉ० जी०एन० परिहार,** पूर्व निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात वैज्ञानिक	सदस्य
4.	**डॉ० सीमा जग्गी,** सहायक महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
5.	**डॉ० दाता राम कुम्हार,** निदेशक, भू-सदृश्यता एवं राजस्व सृजन निदेशालय, बीकानेर।	सदस्य
6.	**डॉ० वीर सिंह,** निदेशक, छात्र कल्याण निदेशालय, बीकानेर।	सदस्य
7.	**डॉ० नीना सरीन,** आचार्य (प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबंधन), सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।	सदस्य
8.	**डॉ० योगेश शर्मा,** आचार्य (कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान), कृषि महाविद्यालय, बीकानेर।	सदस्य
9.	**डॉ० राजेन्द्र सिंह राठौड़,** सह-आचार्य (उद्यानिकी), खजूर अनुसंधान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर।	सदस्य
10.	**डॉ० ममता सिंह,** सहायक आचार्य (खाद्य एवं पोषण), सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	सदस्य
11.	**श्री पवन कुमार कस्वाँ,** वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	विशेष आमंत्रित
12.	**इंजी० विपिन लड्ढा,** विशेषाधिकारी, कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	विशेष आमंत्रित
13.	**सुनीता चौधरी,** आर०ए०एस० कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	**सदस्य सचिव**

श्री जगदीश चन्द्र, माननीय विधायक (सादुलशहर) एवं माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, श्री रूपेन्द्र सिंह कुन्नर, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित प्रगतिशील किसान, श्री बाबू लाल जुनेजा, अध्यक्ष, गुरू गोविन्द सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्, डॉ० नीरज के० पवन, संभागीय आयुक्त बीकानेर एवं प्रतिनिधि शासन सचिव (वित्त), राजस्थान सरकार, श्रीमान् शासन सचिव (कृषि उत्पादन), श्रीमान् शासन सचिव (शिक्षा) एवं श्रीमान् शासन सचिव (पशुपालन) के द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नहीं लिया गया।

प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय कुलपति ने प्रारंभिक उद्बोधन में प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों का स्वागत किया।

बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय पारित किये गये।

मद संख्या	विवरण
स्वाकेराकृवि/बोम-111/ 2023-2/1469	**59वीं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24.02.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 24.02.2023 को आयोजित 59वीं विद्या परिषद् बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्न के साथ किया जाता है:- **i. SKRAU/AC-59/2023-2/432(i)** **To approve the panel of expert for Faculty of Agriculture, Community Science and Agri-Business Management.** प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, डॉ० पी०के० दशौरा, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विशेषज्ञ पैनल के नामों को अंतिम रूप देने का कार्य राजस्थान लोक सेवा आयोग के नामित सदस्य, राज्य सरकार के नामित सदस्य व राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल में से नामित सदस्य द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय में विशेषज्ञ पैनल के नामों को अंतिम रूप देने संबंधी प्रक्रिया विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम 1987 के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित है, जिस पर सदन के माननीय सदस्यगणों द्वारा आम सहमति प्रदान की गई। **(कार्यवाही : निजी सचिव, कुलपति)** **ii. SKRAU/AC-59/2023-2/432(ii)** **Engaging Ph.D. students as Teaching Assistant in different departments of the faculty of Agriculture and Community Science.** प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, डॉ० पी०के० दशौरा, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् द्वारा प्रकरण में विश्वविद्यालय पर वित्तीय व्ययभार को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति लेने का सुझाव दिया गया । अत: पारित किया जाता है कि प्रकरण में राज्य सरकार की अनुमति उपरान्त ही प्रक्रिया प्रारम्भ की जावें तथा अनुमति प्राप्त करने हेतु संबंधित विभाग से सम्पर्क कर जल्द अनुमति प्राप्त करने के प्रयास किये जावें। **(कार्यवाही : वित्त नियंत्रक/संकायाध्यक्ष (कृषि) व (सामुदायिक विज्ञान)**

	iii. SKRAU/AC-59/2023-2/432(iv) **Allotting 60 seats for new College of Agriculture at Taranagar, Churu.** प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, डॉ० पी०के० दशौरा, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार द्वरा बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत तारानगर-चूरू में विश्वविद्यालय के अधीन स्थापित किये जाने वाले नये कृषि महाविद्यालय हेतु सर्वप्रथम कृषि स्नातक के पाठ्यक्रम के अध्यापन कार्य के लिए शिक्षकों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जावें। माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। **(कार्यवाही : कुलसचिव/संकायाध्यक्ष (कृषि))**
स्वाकेराकृवि/बोम-111/ 2023-2/1470	**अन्य प्रकरणों पर कुलपति की अनुमति से विचार किया गया :-** **i.** डॉ० पी०के० दशौरा, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2005 में की गई भर्तियों में चयन किये गये प्राध्यापकों में से कुछ प्राध्यापकों को कैरियर एडवांस योजना के अन्तर्गत उनसे संबंधित विषय के साक्षात्कार नही होने के कारण उनको सहायक आचार्य से सह-आचार्य एवं सह-आचार्य से आचार्य पद लाभ नही दिया जा सका है। अत: माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा पारित किया गया कि भविष्य में जब भी कैरियर एडवांस योजना के अन्तर्गत साक्षात्कार आयोजित किये जायेगे तब वंचित रहें प्राध्यापकों के विषय के साक्षात्कार नियमानुसार प्रक्रिया को अपनाते हुए प्राथमिकता के आधार पर लिये जायेंगे। **(कार्यवाही : कुलसचिव)** **ii.** डॉ० पी०के० दशौरा, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् व डॉ० जी०एन० परिहार, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात् वैज्ञानिक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त कार्मिकों को वर्तमान में पेंशन के साथ दिये जा रहे 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की दर को वर्तमान में लागू महगाई भत्ते की दर से भुगतान किया जावें, जिस पर विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक श्री पवन कुमार कस्वाँ द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को वर्तमान में प्रचलित महगाई भत्ते की दर से पेंशन राशि के भुगतान हेतु राशि उपलब्ध करवानें का निवेदन निरन्तर किया जा रहा है साथ ही यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा बढ़ी हुई दर से बजट उपलब्ध कराये जाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय व्ययभार की सूचना चाही गई थी, जिसें विश्वविद्यालय राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गई है। राज्य सरकार से बजट प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही कर दी जायेगी। **(कार्यवाही : वित्त नियंत्रक)**

	iii. डॉ० जी०एन० परिहार, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात् वैज्ञानिक द्वारा विश्वविद्यालय के कोरपस फण्ड में पैसा जमा हो रहा है या नही की जानकारी चाही गई, जिस पर विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक श्री पवन कुमार कस्वाँ द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि चूँकि इस संबंध में सदन में जानकारी तत्काल चाही गई है, अतः निश्चित आंकड़े तत्काल उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। अतः आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अद्यतन आंकड़ों सहित सदन को अवगत करवा दिया जायेगा। **(कार्यवाही : वित्त नियंत्रक)**
	iv. डॉ० जी०एन० परिहार, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात् वैज्ञानिक द्वारा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के पदनाम के साथ लगाये जाने वाले CAS शब्द को प्रयुक्त नही किये जाने के आग्रह पर माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा भविष्य में विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के पदनाम के साथ CAS शब्द का प्रयोग नही किये जाने का निर्णय लिया गया। **(कार्यवाही : कुलसचिव)**
	v. डॉ० जी०एन० परिहार, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात् वैज्ञानिक द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेज्युटी का भुगतान कब तक किया गया है, की जानकारी चाही गई, जिस पर विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक श्री पवन कुमार कस्वाँ द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि चूँकि इस संबंध में सदन में जानकारी तत्काल चाही गई है, अतः निश्चित आंकड़े तत्काल उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। अतः आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अद्यतन आंकड़ों सहित सदन को अवगत करवा दिया जायेगा। **(कार्यवाही : वित्त नियंत्रक)**
	vi. डॉ० जी०एन० परिहार, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात् वैज्ञानिक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह दिनांक 25.02.2023 में मानद् उपाधि ग्रहण करने वाले विद्धतजनों की सूची में डॉ० ए०एस० फरोदा, डॉ लक्ष्मण सिंह राठौड़ एवं डॉ० एस०एस० आचार्य इत्यादि ख्याति प्राप्त कृषि वैज्ञानिकों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। जिस पर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये नामों पर आगामी दीक्षान्त समारोह के दौरान विचार कर निर्णय लिया जायेगा। **(कार्यवाही : संकायाध्यक्ष, कृषि)**
	vii. डॉ० पी०के० दशौरा, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों को वरीयता अनुसार अधिष्ठाता / निदेशक पदों पर पदस्थापित किये जाने का आग्रह किया गया, जिस पर विश्वविद्यालय की कुलसचिव द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि

	विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की वरीयता का निर्धारण नही किया हुआ है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों की वरीयता निर्धारण का प्रकरण प्रक्रियाधीन है, जल्द ही वरीयता का निर्धारण कर लिया जायेगा। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता व निदेशकों के पदों पर चयन प्रक्रिया से नियुक्ति किया जाना प्रक्रियाधीन है। **(कार्यवाही : कुलसचिव)**

धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

(सुनीता चौधरी)
कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव प्रबन्ध मण्डल

(अरूण कुमार)
कुलपति एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल